

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

राजेन्द्र कुमार ब्राह्मण पुत्र रामस्वरूप ब्राह्मण नि. जहाजपुर
बनाम

अशोक पिता रामपाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर वगैरह

मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए.

मुकदमा नं. 774 / 23

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
07.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम नि. जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 5346/1 रकबा 0.7122 हेक्टेयर, आ. न. 7325 रकबा 0.5989 हेक्टेयर, आ. न. 5349 रकबा 0.7365 हेक्टेयर, आ. न. 7326 रकबा 0.6151 हेक्टेयर, आ. न. 7368/5250 रकबा 0.6637 हेक्टेयर, आ. न. 7670/5351 रकबा 0.1.1481 हेक्टेयर कुल किता 06 रकबा 4.7345 भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम नि. जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 5346/1 रकबा 0.7122 हेक्टेयर, आ. न. 7325 रकबा 0.5989 हेक्टेयर, आ. न. 5349 रकबा 0.7365 हेक्टेयर, आ. न. 7326 रकबा 0.6151 हेक्टेयर, आ. न. 7368/5250 रकबा 0.6637 हेक्टेयर, आ. न. 7670/5351 रकबा 0.1.1481 हेक्टेयर कुल किता 06 रकबा 4.7345 भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 5 .07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

आंक/रीडर/2023/774/2023

दिनांक :- 5.07.2023

मित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 774/2023 अनवान राजेन्द्र कुमार ब्राह्मण पुत्र रामस्वरूप ब्राह्मण नि. जहाजपुर बनाम अशोक पिता रामपाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर, आनन्द पुत्र सुमित्रा ब्राह्मण नि. जहाजपुर, ओमप्रकाश पुत्र देवकिशन ब्राह्मण नि. जहाजपुर, कंचन देवी पुत्र रामपाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर, गीता देवी पत्नी देवकिशन ब्राह्मण नि. जहाजपुर, देवेन्द्र पुत्र पुरुषोत्तम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, प्रज्ञा पुत्री सुमित्रा देवी नि. जहाजपुर, प्रेमचंद पुत्र रामपाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर, प्रीति पुत्री पुरुषोत्तम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, भागी श्री पुत्री सुमित्रा देवी ब्राह्मण नि. जहाजपुर, रतनलाल पुत्र देवकिशन ब्राह्मण नि. जहाजपुर, रवि पुत्र पुरुषोत्तम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, रामप्रसाद पुत्र रामपाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर, सत्यनारायण पुत्र देवकिशन ब्राह्मण नि. जहाजपुर, सुभाष कुमार पुत्र रामपाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर, ओमप्रकाश पुत्र देवकिशन ब्राह्मण नि. जहाजपुर, बनवारी लाल पुत्र देवकिशन स्वर्णकार ब्राह्मण नि. जहाजपुर, विनोद पुत्र केशरलाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर, आलोक कुमार पुत्र राधाकिशन ब्राह्मण नि. जहाजपुर, ऋषि कुमार पुत्र प्रदीप कुमार ब्राह्मण नि. जहाजपुर, गणेशलाल पुत्र गोविंद लाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर, चंद्रप्रकाश पुत्र रामकिशन ब्राह्मण नि. जहाजपुर, चाँदनी पुत्री प्रदीप कुमार ब्राह्मण नि. जहाजपुर, तारा देवी पत्नी प्रदीप कुमार ब्राह्मण नि. जहाजपुर, प्रवीण पुत्र रामकिशन ब्राह्मण नि. जहाजपुर, प्रियंका पुत्री प्रदीप कुमार ब्राह्मण नि. जहाजपुर, हर्षिता पुत्री प्रदीप कुमार ब्राह्मण नि. जहाजपुर, भंवरलाल पुत्री ललित प्रसाद ब्राह्मण नि. जहाजपुर, सत्यदेव पुत्री ललित प्रसाद ब्राह्मण नि. जहाजपुर, अतुल उर्फ अमित पुत्र प्रेमशंकर ब्राह्मण नि. जहाजपुर, अनिल पुत्र घनश्याम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, अशोक पुत्र घनश्याम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, कौशल्या पुत्री घनश्याम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, गायत्री पुत्री घनश्याम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, चन्द्रकला पुत्री घनश्याम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, जितेंद्र पुत्र घनश्याम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, दुर्गा देवी पत्नी घनश्याम ब्राह्मण नि. जहाजपुर, दर्शन देवी पत्नी प्रेमशंकर ब्राह्मण नि. जहाजपुर, बालकृष्ण दत्तक पुत्र रामपाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर, मंजू देवी पत्नी गणेशचंद महाजन नि. जहाजपुर, विनोद पुत्र मुरलीमनोहर ब्राह्मण नि. जहाजपुर, सुमित पुत्र प्रेमशंकर ब्राह्मण नि. जहाजपुर, सीता देवी पुत्री केसरलाल ब्राह्मण नि. जहाजपुर, सोनू पुत्री प्रेमशंकर ब्राह्मण नि. जहाजपुर, घीसालाल पुत्र धन्नालाल कीर नि. जहाजपुर, दुर्गा पुत्र मिश्री कीर नि. जहाजपुर, देवकी देवी पत्नी प्रेमचंद सोनी नि. जहाजपुर, बाबू पुत्र मिश्री कीर नि. जहाजपुर, बालुराम पुत्र नाथुलाल खटीक नि. जहाजपुर, मनोहर पुत्र मिश्री कीर नि. जहाजपुर, मांगी देवी पत्नी मिश्री कीर नि. जहाजपुर, तहसीलदार वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. 5346/1 रकबा 0.7122 हेक्टेयर, आ. न. 7325 रकबा 0.5989 हेक्टेयर, आ. न. 5349 रकबा 0.7365 हेक्टेयर, आ. न. 6 रकबा 0.6151 हेक्टेयर, आ. न. 7368/5250 रकबा 0.6637 हेक्टेयर, आ. न. 7670/5351 रकबा 0.1.1481 हेक्टेयर कुल 06 रकबा 4.7345 भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा गा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)